GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues New Delhi dated 09.08.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 41 OF 2018)

Sub: Modification in the Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) policy.

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014, 21&59 of 2015 and 55 of 2017.

2. The YTSK scheme has been further reviewed in consultations with Finance Directorate of the Ministry of Railways to make certain modifications in the scheme. The modifications are as follows:-

S. No.	Feature of the scheme	Existing Provision	Revised Provision
1.	Terminal Access Charge	As per Para 3.5 of CC no. 33/2014, the licensee pays system access charges of ₹ 1.6 lakh per terminal per annum.	YTSK Licensee shall pay ₹ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal (now once in 3 years instead of every year).
2.	Registration Fee	As per Para 5.1 of CC no. 33/2014, YTSKL pays a one-time non-refundable registration fee of ₹ 5 lakh upon allotment of license.	Licensee shall pay one-time non-refundable registration fee of ₹ 2 lakh upon allotment of license.
3.	Renewal of License	As per Para 7 of CC no. 33/2014, the initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for one year at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.	The initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for three years at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal. For the existing YTSKs, this will be applicable at the time of next renewal.

-2/-

9/8/18

4.	Security Deposit	As per Para 5.3 of CC no. 33 of 2014, the YTSK licensee is required to keep an interest free security deposit of ₹ 2 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.	The YTSK licensee is requ[illegible]d to keep an interest free security deposit of ₹ 1 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.
5.	Timing restriction for operation of YTSK terminals	As per Para 1(v) of Commercial Circular no. 21 of 2015, the operational timings for general reservation for booking of PRS and UTS tickets at YTSKs are 0830 hours to 2200 hours on weekdays and from 0830 hours to 2000 hours on Sundays. The booking hours for Tatkal reservation start at 1030 hours or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.	On the opening day of reservation the timings of restriction for booking general as well as Tatkal reservation will be reduced from existing 30 minutes to fifteen minutes. As such YTSKs shall be able to issue general tickets on the opening day of reservation from 0815 hours and Tatkal tickets on the opening day of reservation from 1015 hours and 1115 hours for AC and non-AC classes respectively.
6.	Eligibility criterion	As per Para 2 (i) of CC no. 33 of 2014, the applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least five years.	The applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least two (02) years.
7.	Transfer of License	As per, Para 18 of CC no. 39/2014 license shall be non-transferrable, provided that in case of death of agent, the license may be transferred to his/her legal heir on a request made in writing for the unexpired period only of the license by the competent authority and the legal heir shall be eligible to apply for renewal of the said license in accordance with the provisions of rules, as applicable at the time of renewal.	The following clause may be added in the scheme: "The YTSK will indicate two (02) nominees/legal heirs in whose name the license should be transferred in case of death of the YTSK. In case the nominee 1 passes away before the YTSK or is unwilling to continue as YTSK after the demise of the original allottee, nominee 2 shall be asked to continue as YTSK.

-3/-

9/8/18

Javier Kumar

3. The aforesaid modifications will take effect prospectively from the date of issue of this circular. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

4. All the remaining provisions of the existing policy shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues

Dated: 09.08.2018

Copy forwarded to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज़ **नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) नीति में आशोधन।

वाईटीएसके योजना को 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत शुरू किया गया था और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 और 45, 2015 के 21 और 59 तथा 2017 के 55 के तहत इस योजना के प्रावधानों में आशोधन किए गए हैं।

2. इस योजना में कुछ आशोधन करने के लिए रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से वाईटीएसके योजना की पुन: समीक्षा की गई है। ये आशोधन निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	योजना की विशेषता	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	टर्मिनल अभिगमन प्रभार	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 3.5 के अनुसार, लाइसेंसधारी प्रति टर्मिनल प्रति वर्ष 1.6 लाख रुपए के प्रणाली अभिगमन प्रभार का भुगतान करेंगे।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी प्रत्येक नवीकरण के समय (प्रत्येक वर्ष के बदले अब 3 वर्ष में एक बार) प्रति टर्मिनल 1.6 लाख रुपए का भुगतान करेंगे।
2.	पंजीकरण शुल्क	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 5.1 के अनुसार, वाईटीएसकेएल लाइसेंस आबंटित होने पर एकबारगी 5 लाख रुपए के अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करता है।	लाइसेंसधारी लाइसेंस आबंटित होने पर 2 लाख रुपए के एकबारगी अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।
3.	लाइसेंस का नवीकरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 7 के अनुसार, लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों के लिए है। लाइसेंस की मौजूदा कार्यावधि समाप्त होने के बाद	लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों की है। लाइसेंस की मौजूदा अवधि समाप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने

TG-1 P. OFF.

		सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है।	पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है। मौजूदा वाईटीएसकेएल के लिए अगले नवीकरण के समय यह लागू होगा।
4.	प्रतिभूति जमा	2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के पैरा 5.3 के अनुसार, अपेक्षा की जाती है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की ब्याजरहित प्रतिभूति जमा रखेगा जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट ब्याजरहित 1 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा रखना अपेक्षित है जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।
5.	वाईटीएसके टर्मिनलों के परिचालन के लिए समय प्रतिबंध	2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21 के पैरा 1(V) के अनुसार, वाईटीएसके के लिए पीआरएस और यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सामान्य आरक्षण चालू रहने का समय कार्य दिवसों में 0830 बजे से 2200 बजे तक और रविवार को 0830 बजे से 2000 बजे तक होता है। तत्काल आरक्षण शुरू होने के लिए बुकिंग समय 1030 बजे से या समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार होता है।	आरक्षण खुलने के दिन सामान्य और तत्काल आरक्षण बुक करने का समय प्रतिबंध मौजूदा 30 मिनट से कम करके 15 मिनट कर दिया जाएगा। अत:, वाईटीएसके आरक्षण खुलने के दिन 08.15 बजे और तत्काल टिकट आरक्षण खुलने के दिन वातानुकूलित श्रेणी के लिए और गैर-वातानुकूलित श्रेणी के लिए क्रमश: 10.15 बजे और 11.15 बजे से टिकट जारी कर सकेंगे।
6.	पात्रता मानदण्ड	2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 33 के पैरा 2(i) के अनुसार, आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम पांच वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।	आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम दो वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।
7.	लाइसेंस का हस्तांतरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39/2014 के पैरा 18 के अनुसार, लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा बशर्ते कि एजेंट की मृत्यु के मामले में, लिखित में अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त होने	इस योजना में निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाए: "वाईटीएसके ऐसे दो (02) नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को दर्शाएगा, जिनके नाम पर वाईटीएसके की

TG-1 P. OFF.

-3/-

		की केवल शेष अवधि के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस हस्तांतरित किया जाए और कानूनी उत्तराधिकारी नवीकरण के समय यथा लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।	मृत्यु होने पर लाइसेंस हस्तांतरित किया जाना चाहिए। यदि वाईटीएसके से पहले नामिति 1 की मृत्यु हो जाती है या वह मूल आबंटिती की मृत्यु के बाद वाईटीएसके के रूप में बने रहने के लिए अनिच्छुक हो तो नामिती 2 को वाईटीएसके बनने के लिए कहा जाएगा।"

3. उपर्युक्त आशोधन इस परिपत्र के जारी होने की भावी तिथि से प्रभावी होंगे। तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. मौजूदा नीति के शेष सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5/11/18

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज़ **नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित:
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

8.11.18
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड

3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

*****

GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 08.08.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri,
New Delhi

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 33OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

With a view to expanding the facilities for issue of tickets (both reserved and unreserved) it has been decided to allow public private partnership in establishment and operation of computerised PRS-cum-UTS terminals at centres which shall be called Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK). A copy of detailed scheme is enclosed.

2. It is desired that necessary action may be taken to open such Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) on Zonal Railways as per the terms and conditions indicated in the scheme. The standard agreement format shall be circulated shortly.

3. CRIS will make necessary modification in the software.

4. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

8/8/14
(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

Manoj 8/8/14
(Manoj Kumar Dubey)
DF(C)/Railway Board

08/08/2014
(Vivek P Tripathi)
DF(A)/Railway Board

DA: As above.

Copy to:

1) CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) FA & CAO/All Zonal Railways, Director (Audit)/All Zonal Railways.
3) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
4) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
5) General Manager/PRS, General Manager/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
8) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
9) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

DA: As above.

SCHEME FOR ESTABLISHMENT AND OPERATION OF YATRI TICKET SUVIDHA KENDRA (YTSK)

1. **INTRODUCTION:**

The Government of India shall allow private participation in the establishment and operation of Computerized Passenger Reservation System (PRS) cum Unreserved Ticketing System (UTS) terminals through the participants selected by a procedure elucidated in the succeeding paras. Such ticketing centres shall be called as **Yatri Ticket Suvidha Kendra(YTSK)**

2. **PROCEDURE FOR ESTABLISHING YTSK:**

Application shall be called for from all the authorised ticketing agents including RTSAs and RTAs of Indian Railways who fulfill the following criteria:

(i) the applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least five years;

(ii) the applicant should have a Permanent Account Number (PAN) issued by Income-tax authorities and should have filed Income Tax return during the last three years;

(iii) the applicant should have an office and premises outside the railway station premises equipped with adequate infrastructure. The applicant should have obtained all necessary and mandatory clearances regarding the premises from the appropriate local authorities. Such premises need to be properly maintained with adequate conveniences and amenities in the vicinity so as to accommodate the visit of sufficient number of customers; and the licensee shall not reduce the facilities or shift this office to any other location without the prior written approval of the Railway administration.

(iv) the applicant should not have been convicted in a criminal case involving moral turpitude.

(v) while working as an agent of Indian Railway's ticketing system, the applicant's licence should not have been terminated in the past on account of irregularities or violation of the agreement or any of the rule(s) of Indian Railways.

2.1 All such applications received from the authorised agents of ticketing services of Indian Railways shall be screened for fulfilment of laid down criteria and selected by a committee of three member of Jr Administrative Grade, which will include one member each from Commercial and Finance.

--2/-

3. TERMS AND CONDITIONS FOR ESTABLISHING YTSK

3.1 Each selected licensee will be given facility of operating upto four terminals. However, the limit on numbers of counters to be given to a licensee can be increased by Indian Railways if found necessary.

3.2 The cost of establishing, operating, maintaining and periodic system upgradation of hardware/software required at such reservation centres shall be borne by the licensee. Any default/non compliance may invite temporary suspension of access to the PRS/UTS system or even termination of the licence if the licensee refuses to undertake necessary upgradation.

3.2.1 The terminals, PCs, ticket printers, modems and multiplexers etc., may be provided and maintained by the railways through an authorised agency or may be purchased and maintained by the licensees. In case if any of these items as per prescribed specifications are procured by the licensees themselves, the officers of Railways nominated will inspect the Hardware for certification. In case any of these items are supplied and maintained by the railways, the cost as fixed by the Railways will be borne by the licensees. In this case, the licensee will give access to their premises for the railway's authorised maintenance agency to maintain equipments as prescribed for in this agreement. The decision on maintenance charges fixed by the Railways will be final and licensee will not dispute the same. The licensee can also undertake maintenance of hardware through their own Engineers. However, equipments purchased by the licensee will be maintained by the licensee only.

3.3 The licensee will hire and maintain two numbers of data/communication channels between his location and the nearest computerised PRS centre of the Railways.

3.4 The licensee will set up an office and set up counters on the pattern and standard at par with computerized PRS centres of Indian Railways. The cost and rental of premises (if any) will be borne by the licensee only.

3.5 The licensee shall pay system access charges of Rs.1.6 lakhs per terminal per annum. These shall be paid by the licensee in advance. The system access charges may be revised by Indian Railways from time to time.

3.6 The licensee will engage their own staff at their own cost for running such ticketing centre(s).

3.7 The Railway will supply, free of cost, only PRS tickets rolls of different colour after due accountal. Detailed procedure order for issue and accountal of PRS ticket rolls will be as per model agreement to be issued by Railway Board. However, the licensee will bear the cost of non-ticketing stationery.

3.8 The licensee will ensure safe custody of PRS ticket rolls/tickets. Loss/misuse of PRS ticket rolls/tickets will invite penalty as fixed by the Railway administration for recovery of pecuniary loss suffered by the Railways.

3.8.1 As per extant Rules, for loss of PRS ticket rolls/tickets, debit equivalent to fare of the farthest distance by highest class of train for six adult passengers per ticket lost, shall be raised. In case of loss/misuse UTS tickets, the debit will be raised at the

--3/--

rate equivalent to 2nd class Mail/Express fare of four adult passengers for farthest destination in the system.

3.9 Enquiry services to passengers shall be provided by these licensees free of cost.

3.10 Railway administration reserves the right to regulate the access of the licensee to the system for a particular class, train or route in public interest and/or national security reason.

4. TIMINGS OF OPERATION:

- The timing of operations of terminals in the premises of licensees for general reservation shall be from 0900 hours to 2200 hours on week days and from 0900 hours to 2000 hours on Sundays for booking general PRS and UTS tickets.
- The booking hours for Tatkal tickets will start from 11:00 hours at these centres or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.
- The operating hours of the terminals may be reduced by the licensee to enable closure before the timings indicated above. However, this should be done only with prior information by the licensee to railway administration. The licensee will display prominently the working hours of ticketing related services in the ticketing area of the YTSK.

5. ADVANCE DEPOSIT, BANK GUARANTEE, SECURITY DEPOSIT AND LICENCE FEE

5.1 **Registration Fee:** Licensee shall pay a one time non-refundable registration fee of Rs.5 lakh upon allotment of licence.

5.2 **Advance Deposit:** The licensee would be required to deposit a minimum amount of Rs.5 lakh per counter with the Railways in advance and shall be allowed to issue tickets only up to Rs.4.5 lakh per counter, i.e., the licensee can issue the tickets up to an amount which is Rs 0.50 lakh per counter short of the deposit available with the Railways. The issue of ticket shall automatically stop as and when the amount of the tickets issued by him reaches Rs. 4.50 lakh per counter. This feature shall be in-built in the software. The licensee can deposit up to a maximum value of Rs.1 crore for this purpose.

5.3 **Security Deposit/Bank Guarantee:** The licensee would be required to keep an interest free security deposit of Rs. 2 lakh per port subject to a maximum of Rs. 5 lakh with the Railways. Such security deposit can be in the form of a bank guarantee by a scheduled bank or in the form of a cash deposit/cheque/demand draft with the railways. This security deposit shall be liable to be forfeited in the event of breach of any of the clauses of the Agreement.

--4/-

6. REVENUE SHARING

The licensee shall share the revenue which is essentially the service charges levied on the customer for the booking or cancellation of tickets. The licensee shall share 25% of the service charges levied on the customer for booking/cancellation of reserved tickets.

(i) 25% of the service charges collected by the licensee from the passengers shall be credited to Railways account at the time of booking/cancellation of reserved tickets.
(ii) Licensees shall levy one rupee per passenger as service charges on booking of unreserved tickets by the customers which is at par with the charges levied by JTBS. There shall be no revenue sharing arrangement in case of tickets sold through unreserved ticketing system.
(iii) The service charges so collected by the licensee on account of selling unreserved UTS tickets shall be entirely retained by the licensee.
(iv) This revenue sharing model shall be applicable for one year. After the period of one year, the Indian Railways shall review the revenue sharing formula based on the response to the scheme and the volume of business generated under the scheme.
(v) The efficacy of the system of revenue sharing should be reviewed every quarter jointly by Accounts and Commercial Departments to ensure that due revenue share accrues to Railways.

7. TENURE OF THE LICENCE

The initial tenure of the licence shall be for a period of 3 years. The licensee shall pay licence fee @ Rs. 5,000/- per counter per annum to Indian Railways. The licence can be renewed for one year at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.

8. SERVICE CHARGES (COMMISSION)

The Commission/Service Charge will be charged as notified by Indian Railways from time to time. To start with, the Service Charge shall be Rs 30/- per passenger for 2S and Sleeper classes and Rs 40/- per passenger for all other classes. The commission/service charge shall be printed on the ticket(s).

8.1 The service charges for cancellation shall be 50% of the charges prescribed for booking.

8.2 The licensee shall display the information regarding the opening and closure timings of the YTSK and the rate of service charges for different class of passengers at prominent locations bilingually.

9. GUARD AGAINST MALPRACTICES

9.1 Adequate system security provisions shall be in-built in the system to preclude the possibility of disruption by virus/unauthorised access etc.

May 8/8 8/8

--5/-

9.2 In order to guard against malpractices, the facility of block booking, modification, change of name, age, sex, etc. will not be permitted. However, the facility of postponement/advancing of ticket will be available.

9.3 The licensee will be allowed to cancel only the tickets issued by the YTSK licensee. However, the YTSK tickets can be cancelled at PRS centres also.

9.4 The cancellation charges will be credited to the Railways but the licensee will be allowed to charge commission for cancellation from the passengers at the rate fixed by the Railways in terms of para 8.

9.5 These licensees will not deal with any type of concession vouchers, etc.

9.6 A separate code number will be allotted to these licensees and the code number will appear on the ticket itself. There will be two passwords, one supervisory password which will be controlled by the Railways and the other, operator password, which will be controlled by the licensee.

9.7 The colour of ticket roll issued to licensees will be distinct.

9.8 The fare value, the service charges, etc. realised will appear on the ticket to avoid over-charging by the licensee. In case of cancellation, the cancellation charges payable to Indian Railways and cancellation commission payable to the licensee shall be indicated on the cancellation ticket.

9.9 Any case of violation of provisions of the agreement or the rules of Indian Railways by the licensee would invite deterrent punishment by way of penalties which may include termination of licence after due notice.

10. MAINTENANCE OF REGISTERS, SUBMISSION OF RETURNS AND CHECKS BY ACCOUNTS & COMMERCIAL OFFICERS, ETC.

10.1 Railway Administration will prescribe the statements/returns to be submitted by the licensees to the Railways. The details of these returns, periodicity of these reports/returns will be as specified in the model agreement to be issued by Railway Board.

10.2 Licensee shall maintain all the registers/books and returns as required under the scheme. In addition, he shall also be asked to maintain such documents/registers as are considered necessary by the Railway Administration for verification purpose.

10.3 Statements of Refund (Cancelled) tickets and non-issued ticket for above terminals must reach the Traffic Accounts office next working day without fail.

10.4 The balance sheet and passenger classification for the privately owned terminals must be signed by the authorised licensee and his authorised signatory(ies) whose signatures must be available in the Traffic Accounts office. These must be submitted regularly in Traffic Accounts office of the concerned Zonal Railway.

--6/-

MOM 8/8

10.5 Railway Administration shall have the right to inspect the office of the licensee at any time during the business hours and for this purpose, Railway Administration may depute any person as deemed fit. In order to maintain vigil on any spurious elements tending to indulge in malpractices at these centres the Licensee shall make provision of CCTV/IPTV at the YTSK (s). The footages of CCTV/IPTV shall be preserved for at least one month and access to such data shall be provided to inspection official(s) on demand.

10.6 Performance of service being rendered by the licensee shall be reviewed from time to time by conducting surveys and by visits and inspection of Commercial and Accounts officers, etc. However, regular inspections at prescribed periodicity should be conducted by CMI/TIA whose names would be advised by Railways in advance.

10.7 The licensee shall be subjected to all the supervisory checks carried out for Railway PRS terminals or any supervision provided for internet system.

10.8 Fortnightly statements of tickets issued by the licensees would be analysed by the Railways with a view to ascertain if any unusual pattern of issue of ticket by the particular licensee is indicated.

10.9 In case the YTSK scheme is withdrawn, the licensee shall be free to apply for licence under any prevailing scheme of ticketing of Indian Railways subject to eligibility.

10.10 Transfer of Licence: In case of death of licencee during the validity of the tenure, licence will be transferred to the legal heir only for the remaining period of the tenure of the licence.

10.11 For implementation of this scheme, an agreement will be signed between the competent authority and the selected ticketing agent.

****

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं.2014/टीज़ी-I/23/पीआरएस टर्मिनल

नई दिल्ली, दिनांक 08.08.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली.

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.33)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना तथा परिचालन की स्कीम को लागू करना.

टिकटों (आरक्षित और अनारक्षित दोनों) को जारी करने की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि केन्द्रों, जिन्हें यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) कहा जाएगा, पर कंप्यूटरीकृत-एवं-यूटीएस टर्मिनलों की स्थापना तथा परिचालन में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की अनुमति प्रदान की जाए. स्कीम की एक प्रति संलग्न है.

2. यह वांछित है कि इस स्कीम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों पर यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए. मानक करार का फार्मेट शीघ्र ही परिपत्रित किया जाएगा.

3. क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा.

4. यह रेल मंत्रालय के वित्त तथा लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है.

(डॉ. एस.के. अहिरवार)	(मनोज कुमार दुबे)	(विवेक पी त्रिपाठी)
नि.या.वा.(सा)/रेलवे बोर्ड	नि.वित्त(सी)/रेलवे बोर्ड	नि.वित्त(लेखा)/रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सभी क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम, सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस.
2) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/सभी क्षेत्रीय रेलें, निदेशक (लेखा)/सभी क्षेत्रीय रेलें.
3) अपर महानिदेशक/पीआर, का.नि. सतर्कता (टी), का.नि.एफसी, नि.वित्त(सी), ओएसडी/टीसी, रेलवे बोर्ड की एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं.
4) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.
5) महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
6) महानिदेशक, प्रोफेसर/ट्रेनिंग और प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वडोदरा.
7) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, धनबाद, उत्तर रेलवे,चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे, मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे, त्रिच्ची, दक्षिण मध्य रेलवे,मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे,सिनी, पश्चिम रेलवे, उदयपुर.
8) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
9) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
10) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
11) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं.370, रेल भवन, नई दिल्ली.
12) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ), कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली.
13) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256(डी), रेल भवन,नई दिल्ली.
14) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

******

संलग्नक : यथोक्त

यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन के लिए स्कीम

1. प्रस्तावना :

भारत सरकार एक प्रक्रिया, जिसका ब्यौरा अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है, द्वारा चुने गए भागीदारों के माध्यम से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) की स्थापना एवं परिचालन में निजी भागीदारी की अनुमति देगी. इस प्रकार के टिकट केन्द्रों को यात्री सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) कहा जाएगा.

2. वाईटीएसके को स्थापित करने की प्रक्रिया :

भारतीय रेलों के रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसएएस) और रेल पर्यटक अभिकर्ता (आरटीएएस) सहित ऐसे सभी प्राधिकृत टिकट एजेंटों से, जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करते हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे :

(i) आवेदक ने भारतीय रेलों के यात्रियों के लिए रेलवे टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो .

(ii) आवेदक के पास आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) होना चाहिए और उनका पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दायर किया होना चाहिए.

(iii) आवेदक के पास रेलवे स्टेशन के परिसर से बाहर एक कार्यालय और परिसर होना चाहिए, जो पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं से सज्जित होना चाहिए. आवेदक द्वारा उपयुक्त स्थानीय प्राधिकारियों से उस परिसर के बारे में सभी जरूरी और अनिवार्य स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई होनी चाहिए. ऐसे परिसरों का समुचित रख-रखाव किया जाना आवश्यक है, जिसके समीप पर्याप्त सुख-सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वहाँ पर्याप्त संख्या में ग्राहकों के आने पर उन्हें समायोजित किया जा सके; लाइसेंसधारी रेलवे प्रशासन की बिना पूर्वानुमति के इन सुविधाओं को कम नहीं करेगा अथवा इस कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाएगा.

(iv) आवेदक, किसी ऐसे आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुआ होना चाहिए, जिसमें नैतिक भ्रष्टता अंतर्ग्रस्त हो,.

(v) भारतीय रेलवे की टिकट प्रणाली में एक एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए आवेदक का लाइसेंस विगत में अनियमितताओं अथवा करार के उल्लंधन अथवा भारतीय रेलवे के किसी नियम (नियमों) के उल्लंधन के कारण निरस्त नहीं किया गया होना चाहिए.

2.1 भारतीय रेलवे की टिकट सेवाओं के प्राधिकृत एजेंटों से प्राप्त ऐसे सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति के लिए जांच की जाएगी और कनिष्ठ वेतनमान ग्रेड के अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा। जिसमें वाणिज्य तथा वित्त का एक-एक सदस्य शामिल होगा, उन्हें छांटा जाएगा.

3. वाईटीएसके को स्थापित करने की शर्तें :

3.1 प्रत्येक चयनित लाइसेंसधारी को चार टर्मिनलों तक की परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी. बहरहाल, भारतीय रेलवे द्वारा यदि आवश्यक पाया जाए तो किसी लाइसेंसधारी को दिए जाने वाले काउंटरों की संख्या की सीमा को बढ़ाया जा सकता है.

3.2 ऐसे आरक्षण केन्द्रों की स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण तथा उनमें अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का आवधिक तंत्र उन्नयन की लागत, लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी. किसी प्रकार की चूक/अपालना की स्थिति में पीआरएस/यूटीएस सिस्टम के साथ अभिगम्यता अस्थाई तौर पर लंबित की जा सकती है अथवा लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है, यदि लाइसेंसधारी आवश्यक अपग्रेडेशन करने से मना करे.

3.2.1 टर्मिनलों, पीसी, टिकट प्रिन्टरों, मॉडमों तथा मल्टीप्लेक्सरों की व्यवस्था रेलवे द्वारा किसी प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है अथवा इन्हें लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदा एवं उनका अनुरक्षण किया जा सकता है. यदि लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार इनमें से किसी मद को स्वयं खरीदा जाता है तो रेलवे के नामित अधिकारियों द्वारा प्रमाणन के लिए हार्डवेयर का निरीक्षण किया जाएगा. यदि इनमें से किसी मद को रेलवे द्वारा सप्लाई एवं अनुरक्षण किया जाता है तो रेलवे द्वारा यथा निर्धारित लागत का वहन लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा. इस स्थिति में लाइसेंसधारी, रेलवे के प्राधिकृत अनुरक्षण एजेंसी को इस करार में निर्धारित किए गए अनुसार उपकरणों के अनुरक्षण के लिए अपने परिसर में आने-जाने की अनुमति प्रदान करेगा. रेलवे द्वारा अनुरक्षण प्रभार के निर्धारण के संबंध में किया गया निर्णय अन्तिम होगा और लाइसेंसधारी इस संबंध में कोई विवाद नहीं करेगा. लाइसेंसधारी अपने निजी इंजीनियरों के माध्यम से भी हार्डवेयर का अनुरक्षण कर सकता है. बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा खरीदे गए उपकरणों का अनुरक्षण लाइसेंसधारी द्वारा ही कराया जाएगा.

3.3 लाइसेंसधारी, अपने स्थल और रेलवे के निकटतम कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र के बीच 2 संख्या डाटा/कम्यूनिकेशन चैनलों को किराए पर लेगा तथा वह उनका अनुरक्षण करेगा.

3.4 लाइसेंसधारी भारतीय रेलों के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्रों के प्रतिरूप तथा समान मानक के अनुसार एक कार्यालय और काउंटर बनाएगा. इस परिसर की लागत तथा किराया (यदि कोई हो) केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही वहन किया जाएगा.

3.5 लाइसेंसधारी प्रति टर्मिनल प्रतिवर्ष, 1.06 लाख रुपए के सिस्टम अभिगम्यता प्रभार का भुगतान करेगा. भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर सिस्टम अभिगम्यता प्रभार में संशोधन किया जा सकता है.

3.6 लाइसेंसधारी ऐसे टिकट केन्द्र (केन्द्रों) के संचालन के लिए अपनी लागत पर अपने कर्मचारियों की तैनाती करेगा.

3.7 रेलवे, समुचित लेखा-जोखा रखने के बाद, अलग-अलग रंग के पीआरएस टिकट रोल ही निःशुल्क सप्लाई करेगी. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल करार के अनुसार पीआरएस टिकट-रोलों को जारी करने तथा उसका लेखा-जोखा रखने के लिए विस्तृत प्रक्रिया आदेश जारी किए जाएंगे. बहरहाल, लाइसेंसधारी गैर-टिकट स्टेशनरी की लागत को वहन करेगा.

3.8 लाइसेंसधारी पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा. पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों के खो जाने/उनका दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में रेलवे को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिए रेल प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा.

3.8.1 विद्यमान नियमों के अनुसार पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों के खो जाने के मामले में प्रत्येक खोए गए टिकट के लिए 6 वयस्क यात्रियों के लिए गाड़ी के उच्चतम श्रेणी के सबसे ज्यादा दूरी के किराए के

..3/-

बराबर राशि को डेबिट किया जाएगा. यूटीएस टिकटों के खो जाने/उनके दुरुपयोग किए जाने के मामले में सिस्टम में सबसे ज्यादा दूरी के लिए चार वयस्क यात्रियों के दूसरी श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के किराए के बराबर दर पर डेबिट किया जाएगा.

3.9 इन लाइसेंसधारियों द्वारा यात्रियों को पूछताछ सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराई जाएंगी.

3.10 रेलवे प्रशासन, जनहित और/अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण किसी खास श्रेणी, गाड़ी अथवा मार्ग के लिए लाइसेंसधारी की अभिगम्यता को नियंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

4. परिचालन का समय :

- लाइसेंसधारियों के परिसरों में सामान्य आरक्षण के लिए टर्मिनलों के परिचालन का समय सामान्य पीआरएस तथा यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सप्ताह के दिनों में 0900 बजे से 2200 बजे तक और रविवार को 0900 बजे से 2000 बजे तक होगा.
- इन केन्द्रों पर तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग 11.00 बजे से अथवा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समय के अनुसार प्रारंभ होगी.
- लाइसेंसधारी द्वारा टर्मिनलों के परिचालन के घंटे कम किए जा सकते हैं ताकि उपरोक्त इंगित समय से पूर्व इसे बन्द किया जा सके. बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा, रेलवे प्रशासन के पूर्व सूचना के पश्चात् ही किया जाना चाहिए. लाइसेंसधारी, वाईटीएसके के टिकट क्षेत्र में टिकट से संबंधित सेवा के कार्य के घंटों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा.

5. अग्रिम निक्षेप, बैंक गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप तथा लाइसेंस शुल्क:

5.1 **रजिस्ट्रेशन शुल्क** - लाइसेंसधारी, लाइसेंस का आबंटन होने पर 5 लाख रुपए का एकबारगी गैर-वापसी रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करेगा.

5.2 **अग्रिम निक्षेप** : लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति काउंटर कम से कम 5 लाख रुपए की राशि अग्रिम में जमा करना अपेक्षित होगा और उसे प्रति काउंटर 4.5 लाख रुपए तक के टिकट ही जारी करने की अनुमति होगी; लाइसेंसधारी रेलवे के पास उपलब्ध जमा राशि से प्रति काउंटर 0.50 लाख रुपए कम के टिकट जारी कर सकता है. जब उसके द्वारा जारी टिकटों की राशि प्रति काउंटर 4.50 लाख रुपए हो जाएगी तो टिकटों का जारी होना स्वत: बन्द हो जाएगा. यह विशेषता सॉफ्टवेयर में स्वनिर्मित होगी. लाइसेंसधारी इस प्रयोजन के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए जमा करा सकता है.

5.3 **प्रतिभूति निक्षेप/बैंक गारंटी** : लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की प्रतिभूति निक्षेप, जो अधिकतम 5 लाख रुपए होगी, जमा कराना अपेक्षित होगा. यह प्रतिभूति निक्षेप किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी अथवा रेलवे के पास नकद जमा/चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो सकती है. करार के किसी खण्ड का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में इस प्रतिभूति निक्षेप को जब्त किया जा सकता है.

--4/-

6. <u>राजस्व में भागीदारी</u> : लाइसेंसधारी, राजस्व के हिस्से का अंशभागी करेगा जो अनिवार्यतः टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के लिए ग्राहक पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार है. लाइसेंसधारी, आरक्षित टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के लिए ग्राहकों पर लगाए गए सेवा प्रभार का 25% अंशभागी करेगा.

(i) आरक्षित टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के समय लाइसेंसधारी द्वारा यात्री से वसूल किए जाने वाले सेवा प्रभार की 25% राशि रेलवे के खाते में जमा की जाएगी.

(ii) लाइसेंसधारी, ग्राहक द्वारा अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए सेवा प्रभार के रूप में प्रति यात्री एक रुपया वसूल करेगा, जो जेटीबीएस द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभार के समान है. अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले टिकटों के मामले में राजस्व की भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

(iii) अनारक्षित यूटीएस टिकटों की बिक्री पर लाइसेंसधारी द्वारा इस प्रकार वसूल किया गया समस्त सेवा प्रभार लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा.

(iv) राजस्व की भागीदारी का यह मॉडल एक वर्ष के लिए लागू होगा. एक वर्ष की अवधि के बाद भारतीय रेलवे, इस स्कीम के रुझान और इस योजना के तहत सृजित बिजनेस की मात्रा के आधार पर राजस्व की भागीदारी के फार्मूले की समीक्षा करेगी.

(v) लेखा और वाणिज्यिक विभागों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक तिमाही में राजस्व भागीदारी प्रणाली की कुशलता की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलों को यथोचित राजस्व प्राप्त हो.

7. <u>लाइसेंस की समयावधि</u> : प्रारंभ में लाइसेंस की समयावधि 3 वर्ष की होगी. लाइसेंसधारी, भारतीय रेल को प्रति वर्ष, प्रति काउंटर 5,000/-रुपए की दर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा. लाइसेंस की मौजूदा समयावधि की समाप्ति के बाद लाइसेंस का एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है. परन्तु इसके लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होना चाहिए और ऐसा नवीकरण की अवधि के दौरान विद्यमान नीति के अनुसार किया जाएगा.

8. <u>सेवा प्रभार (कमीशन)</u> : भारतीय रेलों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कमीशन/सेवा प्रभार लगाया जाएगा. प्रारंभ में 2एस और स्लीपर श्रेणी के लिए सेवा प्रभार 30/- रुपए प्रति यात्री और अन्य श्रेणियों के लिए 40/-रुपए प्रति यात्री होगा. कमीशन/सेवा प्रभार टिकट (टिकटों) पर मुद्रित किया जाएगा.

8.1 टिकट रद्द करने के लिए सेवा प्रभार, बुकिंग के लिए निर्धारित प्रभार का 50% होगा.

8.2 लाइसेंसधारी, वाईटीएसके के खुलने तथा बन्द होने के समय की सूचना और यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवा प्रभार की दर को स्पष्टतः दृष्टिगोचर स्थल पर द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करेगा.

9. <u>कदाचार के विरुद्ध सुरक्षा</u> :

9.1 सिस्टम में, सिस्टम की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान स्वनिर्मित होंगे ताकि वायरस/अप्राधिकृत एक्सेस आदि से इसमें खराबी आने की संभावना को बाधित किया जा सके.

9.2 अनाचार से सुरक्षा के लिए ब्लॉक बुकिंग, आशोधन करने, नाम, आयु तथा लिंग में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी. बहरहाल, टिकट के स्थगन या उसे पहले के लिए किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी.

9.3 लाइसेंसधारी को केवल वाईटीएसके लाइसेंसधारी द्वारा जारी टिकटों को ही रद्द करने की अनुमति दी जाएगी. बहरहाल, वाईटीएसके टिकटों को पीआरएस केंद्रों में भी रद्द किया जा सकता है.

9.4 रद्दकरण प्रभार रेलवे को क्रेडिट किया जाएगा परन्तु लाइसेंसधारी को पैरा 8 के अनुसार यात्रियों से रेलवे द्वारा निर्धारित दर पर रद्दकरण के लिए कमीशन प्रभारित करने की अनुमति होगी.

9.5 ये लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार के रियायती वाउचरों, आदि को डील नहीं करेंगे.

9.6 इन लाइसेंसधारियों को अलग कोड नम्बर आवंटित किया जाएगा और कोड नम्बर टिकट पर मुद्रित होगा. इसके दो पासवर्ड होंगे, एक पर्यवेक्षकीय पासवर्ड, जिसे रेलवे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और दूसरा आपरेटर पासवर्ड होगा, जिसे लाइसेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

9.7 लाइसेंसधारियों को जारी किए गए टिकट रोलों का रंग भिन्न होगा.

9.8 किराया मूल्य, सेवा प्रभार आदि टिकट पर दिखाई देंगे ताकि लाइसेंसधारी द्वारा अधिक प्रभार न लगाया जाए. रद्दकरण के मामले में भारतीय रेलवे को देय रद्दकरण प्रभार और लाइसेंसधारी को देय रद्दकरण कमीशन का उल्लेख निरस्त टिकट पर किया जाएगा.

9.9 लाइसेंसधारी द्वारा करार के प्रावधानों अथवा भारतीय रेलवे के नियमों के उल्लंघन के किसी भी मामले में लाइसेंसधारी पर जुर्माने के रूप में निवारक दण्ड लगाया जाएगा, जिसमें समुचित नोटिस के बाद लाइसेंस को रद्द किया जाना शामिल है.

10. रजिस्टरों को रखना, विवरणियाँ प्रस्तुत करना तथा लेखा और वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा जांच करना आदि.

10.1 रेल प्रशासन, लाइसेंसधारियों द्वारा रेलवे को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों/विवरणियाँ निर्धारित करेगा. इन विवरणियों का ब्यौरा, इन रिपोर्टों/विवरणियों की अवधि, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल करार में विनिर्दिष्ट की जाएगी.

10.2 लाइसेंसधारी, इस स्कीम के अंतर्गत यथा-अपेक्षित रजिस्टर/बहियाँ और विवरणियाँ रखेगा. इसके अतिरिक्त, उसे ऐसे कागज़ात/रजिस्टर रखने के लिए भी कहा जाएगा, जिन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा सत्यापन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा जाए.

10.3 उपर्युक्त टर्मिनलों के लिए रिफंड (निरस्त किए गए) टिकटों और जारी न किए गए टिकटों का विवरण, अगले कार्य दिवस तक यातायात लेखा कार्यालय में अनिवार्यतः पहुंच जाना चाहिए.

10.4 निजी स्वामित्व वाले टर्मिनलों का तुलन पत्र तथा यात्री वर्गीकरण में प्राधिकृत लाइसेंसधारी और उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता(हस्ताक्षरकर्त्ताओं) द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिनके हस्ताक्षर यातायात लेखा कार्यालय में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए. इन्हें संबंधित जोनल रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में नियमित तौर पर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

--6/--

10.5 रेल प्रशासन के पास लाइसेंसधारी के कार्यालय का कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन किसी व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, तैनात कर सकता है. ऐसे जालसाज तत्वों, जिनकी प्रवृत्ति इन केन्द्रों पर अनाचार में संलिप्त होने की हो, पर नज़र रखने के लिए लाइसेंसधारी वाईटीएसके में सीसीटीवी/आईपीटीवी का प्रावधान करेगा. सीसीटीवी/आईपीटीवी के फुटेज को कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखा जाएगा और मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) को ऐसे डाटा की अभिगम्यता उपलब्ध कराई जाएगी.

10.6 लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने वाली सेवा-निष्पादन की समीक्षा सर्वे करा कर और वाणिज्यिक तथा लेखा विभाग के अधिकारियों के जाने एवं निरीक्षण आदि के द्वारा की जाएगी. बहरहाल, सीएमआई/टीआईए, जिनके नाम रेलवे द्वारा पहले सूचित किए जाएंगे, द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमित तौर पर निरीक्षण किए जायेंगे.

10.7 लाइसेंसधारी का रेलवे पीआरएस टर्मिनलों के लिए किए जाने वाले सभी पर्यवेक्षकीय जांच अथवा इंटरनेट सिस्टम के लिए मुहैया किए जाने वाले किसी भी प्रकार का पर्यवेक्षण किया जा सकता है.

10.8 किसी खास लाइसेंसधारी द्वारा टिकट जारी किए जाने का कोई असामान्य प्रतिरूप तो नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए लाइसेंसधारियों द्वारा जारी किए गए टिकटों के पाक्षिक विवरण का रेलवे द्वारा विश्लेषण किया जाएगा.

10.9 यदि वाईटीएसके योजना को वापस ले लिया जाता है तो लाइसेंसधारी भारतीय रेलवे पर टिकट जारी करने की किसी भी विद्यमान स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि वह पात्र हो.

10.10 लाइसेंस ट्रांसफर करना : वैध समयावधि के दौरान लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर लाइसेंस, उसके कानूनी वारिस को लाइसेंस की शेष समयावधि के लिए ही ट्रांसफर किया जाएगा.

10.11 इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, सक्षम प्राधिकारी तथा चुने गए टिकट एजेंट के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

****